

## Speed post / त्रिव डाक

1/23959/2024

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननिर्देशक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



## Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202



संख्या: 8685/MCDR-MPCOFU/1/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM दिनांक: /01/2024

प्रेषित: श्री भंवर बिसनोई,

खान मालिक तथा लेसी,  
चटवारा फ्लोराइट खान,  
लूमबानियों कि ढाणी, गाँव: रानीवाड़ा,  
जालोर (राज.)  
(e-mail: bhanvarlal1978@gmail.com)

विषय: राजस्थान राज्य के जालोर जिले में स्थित आपकी चटवारा फ्लोराइट खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 29/11/2023 by undersign in presence of your good-self.

| Rule  | Status and extent of violation  |
|-------|---|
| 45(7) | (1) Part-I, Section 3: The information of Mining Engineer and geologist appointed in the mine is not furnished.<br>(2) Part-I, Section 10: The required PMCP report in excel file and UAV Survey file in KML/KMZ is not uploaded as required.<br>(3) Part-II, Section 1: The number of Geologist and Other administrative and technical supervisory staff employed in the lease area is not furnished.<br>(4) Part-II, Section 3: The detail in respect of the salary-wages paid is not furnished.<br>(5) Part-III, Section 1: The detail in respect of the quantity and cost of material consumed during the year is not furnished.<br>(6) Part-III, Section 2: The amount paid in respect of surface rent or dead rent is not furnished.<br>(7) Part V, Section 6: The details in respect of mining machineries are not furnished.<br>(8) Part VI, Section 2: The production ROM is not furnished as required in the mentioned section. |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।  
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

I/23959/2024

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।
05. कृपया ध्यान रखें के भविष्य में आपको इस संदर्भ मे कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जालोर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर